



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE पंचदीप भवन, सेक्टर19-ए.मध्य मार्ग चण्डीगढ- 160019 PANCHDEEP BHAWAN.SECTOR 19-A. MADHYA MARG,CHANDIGARH-160019 Phone-0172-2544126, Email: rd-punjab@esic.nic.in Website: <u>www.esic.gov.in /www.esic.in</u>

संख्या - R-10010/107/2023-हितलाभ /Benefit<u>/e-312639</u>

दिनांक: 05.01.2024

<u>परिपत्</u>

<u> विषय : क्षेतीय कार्यालय स्तर पर मासिक सुविधा समागम के आयोजन के संबंध में |</u>

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय के निर्देशानुसार उप निदेशक (पूभारी) महोदय की अध्यक्षता में पूत्येक माह आयोजित होने वाला मासिक "सुविधा समागम", दिनांक 10.01.2024 (द्वितीय बुधवार) को अपराह्न 03.00 बजे, क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब के परिसर में आयोजित किया जा रहा है।

इस "**सुविधा समागम**" का मुख्य उदेश्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं/वास्तविकता से परिचित होना तथा सभी नियोजकों, बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों (शिकायतकर्ताओं) की समस्याओं का यथाशीघ्र सर्वोतम समाधान प्रदान करना है |

अत: आगूह हैं कि उक्त तिथि व समय पर सुविधा समागम में उपस्थित हो अपनी समस्याओं से अवगत करवाए ताकि उनका यथासंभव त्वरित समाधान किया जा सके |

यह परिपत्र उप निदेशक (प्रभारी) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है |

<u> सहायक निदेशक (हितलाभ)</u>

CIRCULAR

Subject: <u>Regarding the organization of Monthly 'SUVIDHA SAMAGAM'</u> <u>at Regional Office Level.</u>

With reference to the above subject, it is informed that as per the instructions of

the Headquarter Office, the Monthly "Suvidha Samagam" organized every month, under the chairmanship of Deputy Director (Incharge), is being organized on 10.01.2024 (2nd Wednesday) at 3.00 PM, in the premises of Regional Office, Punjab.

The main objective of this monthly "**Suvidha Samagam**" is to get acquainted with the problems/ground realities of the region and to provide best expeditious solution to the problems of all the stakeholders (complainants).

Hence, the stakeholders are requested to participate in the Suvidha-Samagam on above mentioned date and time and to share the issues being faced by them in order to get expeditious solutions.

This issues with the approval of Deputy Director (Incharge).

Assistant Director (Benefit